सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-619/53-1-2020-442/2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दुग्ध विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः जुलाई, 2020

विषयः- किसान क्रेडिट कार्ड टू एनिमल हस्बैन्ड्री एण्ड डेयरिंग फार्मर्स के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, भारत सरकार,नई दिल्ली के पत्र सं0-एम-01007/5/2020-एडमिन-1/के.सी.सी. दिनांक-28.05.2020 के क्रम में प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग , उ0प्र0शासन के पत्र संख्या-498/53-1-2020-442/2020, दिनांक-09.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार की अपेक्षानुसार दिनांक-01.06.2020 से 31.07.2020 तक प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 20 दुग्ध संघों में पंजीकृत दुग्ध समितियों की संख्या-21537 के समक्ष सदस्य दुग्ध उत्पादकों की संख्या-1279560 को विशेष अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत देश भर मे चल रहे लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य मे केन्द्र सरकार द्वारा "आत्म निर्भर भारत" अभियान के अन्तर्गत आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है। इस आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत अभियान के प्रथम चरण में उक्तानुसार समस्त सदस्य दुग्ध उत्पादक जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों जिनके पास पूर्व से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भू-स्वामित्व के आधार पर उपलब्ध है, ऐसे दुग्ध उत्पादक सदस्य अपने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में रू0 1.6 लाख से रू0 3.0 लाख तक की वृद्धि करा सकेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड धारक दुग्ध उत्पादक सदस्यों द्वारा बैंक ऋण के सापेक्ष निर्धारित किस्तों का समय से भुगतान करने पर 03 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट (Interest Subvention) का लाभ अनुमन्य होगा।

3- दुग्ध संघ से सम्बद्ध दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक-28.05.2020 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित दुग्ध संघ द्वारा की जाने वाली कार्यवाही निम्नवत् हैः-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि 1 जून, 2020 से आरम्भ होकर 31जुलाई, 2020 तक चलने वाले अभियान में अधिकाधिक/अधिकतम किसानों को आच्छादित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित चरणबद्ध उपाय शुरू किये जायें।

(i) दुग्ध संघों को केसीसी प्रपत्र मुद्रित करना होगा और उन प्रपत्रों को एसआरएलएम के अधीन डेयरी सहकारी समिति (डीसीएस) सचिवों या बैंक मित्रों की सेवाओं का उपयोग करते हुए किसानों द्वारा भरवाना होगा। वे प्रमाणित करेंगे कि जिन किसानों का विवरण नीचे दिया गया है, उनके पास विनिर्दिष्ट संख्या में मवेशी हैं और वे दुग्ध संघ को दूध की आपूर्ति कर रहे हैं तथा प्रपत्र में

उल्लिखित खाता संख्या में उनके दुग्ध का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जा रहा है।सभी किसान सदस्यों के लिए प्रपत्र भरे जाने का काम 15 दिनों के भीतर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए और बैंक शाखाओं में जमा कर दिया जाए, ताकि समय से सभी केसीसी निर्गत करने के लिए बैंकों को समय मिल सके। इस अभियान हेतु नियमित केसीसी प्रपत्रों को थोड़ा सा संशोधित किया गया है, ताकि दुग्ध संघों, जहॉ का किसान सदस्य है और अपना दूध बेचता है, द्वारा दिये जाने वाले विवरणों को समायोजित किया जा सके।

(ii) किसान के सहमत होने की दशा में, दुग्ध संघ द्वारा बैंक और किसान के साथ में एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया जा सकता है और किसी चूक होने की दशा में बैंक को केसीसी देयों के भुगतान के बारे में आश्वासित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में रू0 3 लाख तक बिना संपार्श्विक (प्रतिभूति के) बढाने के लिए बैंक द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (आर0बी0आई0) की गाईडलाइन्स का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि किसान की प्रस्संकरण एवं विपणन इकाईयों (दुग्ध संघ) के साथ बिना किन्ही बिचौलियों के, पहले से सहबद्ध (टाई-अप) व्यवस्था है। दुग्ध संघ,बैंक देयों का समय से भुगतान करने के लिए बैंक से नो कॉस्ट सर्विस एग्रीमेंट कर सकता है, ताकि समय पर एवं तत्परता से की गयी अदायगी के मामलों में दिये जाने वाले अतिरिक्त 3% ब्याज की आर्थिक सहायता के साथ-साथ बढाई गयी संपार्श्विक नि:शुल्क क्रेडिट सीमा का लाभ किसान को मिल सके।

(iii) हर जिले के डीएलसीसी की एक विशेष बैठक बुलाई जानी चाहिए और दुग्ध संघ के एमडी को बैठक में विशेष आमंत्रिती के रूप में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाना चाहिए। दुग्ध संघ को पहली बैठक में ही डीएलसीसी को मिल्क यूनियन से जुड़े किसानों की बैंक वाइज, शाखावार सूची उपलब्ध करानी चाहिए। इसके बाद इसे साप्ताहिक रूप से एल0डी0एम0 को डी0एल0सी0सी0 और बैंकों को भी एक प्रतिलिपि के साथ, विभिन्न शाखाओं को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत आवेदनों की एक सूची उपलब्ध करानी चाहिए। नाबार्ड ने सूचित किया है कि सभी जिलों हेतु संबद्ध गतिविधियों के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस को पहले ही डी0एल0सी0सी0 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। डी0एल0सी0सी0 द्वारा इसे सभी बैंक शाखाओं को परिचालित किया जाना चाहिए।

(iv) डीएलसीसी द्वारा प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा, इस प्रयोजनार्थ गठित विशेष समिति से परामर्श करते हुए की जानी चाहिए और दूसरी बी0एल0बी0सी0 की प्रगति की भी समीक्षा की जानी चाहिए। बेहतर परिणाम पाने के लिए बी0एल0बी0सी0 को सक्रिय किया जाना चाहिए। भूमि अभिलेखों के सत्यापन के मामले में किसानों को केसीसी कार्डों की मंजूरी मिलने में कई बार देरी होती है। चूँकि डीएलसीसी भी कलेक्टर की अधीनस्थता में है, जो कि भू-राजस्व प्रशासन का भी अधिकारी होता है, अत: के0सी0सी0 निर्गत किये जाने में शीघ्रता के लिए डीएलसीसी की विशेष समिति द्वारा भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां दिये जाने की भी (प्रगति की) समीक्षा की जानी चाहिए।

4- भारत सरकार के उपरोक्त निदेर्शो के अनुरूप प्रदेश के समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में सभी वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित कर जनपद की दुग्ध सहकारी समितियों के समस्त दुग्ध उत्पादक सदस्यों को आच्छादित करते हुए समयबद्ध रणनीति अपनाकर किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु जनपदवार किसान केडिट कार्ड के लक्ष्यों का निर्धारण कर जनपद की सूची पूर्व में आपको उपलब्ध करायी जा चुकी है। यह कार्य समयबद्ध रूप में दिनांक-31.07.2020 तक पूर्ण किया जाना है।

5- उपर्युक्त कार्य के सम्पादन एवं समन्वय हेतु दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0,जवाहर भवन, लखनऊ को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

6- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार अपने से संबंधित जनपद में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों के किसान क्रेडिट कार्ड निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बनवाने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-संयुक्त सचिव, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या-एम-01007/5/2020-एडमिन-1/ के.सी.सी. दिनांक-28.05.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
2- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव उ0प्र0शासन।
3- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- विशेष सचिव, पशुधन अनुभाग-2, उ0प्र0शासन।
5- दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रकरण मे आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए विभाग के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0,29 पार्क रोड, लखनऊ।
7- निदेशक, पशुपालन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
8- कार्यकारी निदेशक, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी(बैंक ऑफ बडौदा)उ0प्र0।
9- क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैक, उ0प्र0।
10- जिला सहकारी बैंक, उ0 प्र0।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।